

जम्मू-कश्मीर के छह और बंदियों की मुलाकात आई

जागरण संवाददाता, आगरा : केंद्रीय कारागार में निरुद्ध जम्मू-कश्मीर के छह और बंदियों की शुक्रवार को मुलाकात आई। यह दूसरा मौका है जब वहां से यहां भेजे गए बंदियों से मुलाकात करने लोग पहुंचे। इससे पूर्व चार बंदियों की मुलाकात आई थी।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद सरकार द्वारा वहां सक्रिय अलगाववादी नेताओं और उनके करीबियों को राज्य से बाहर की जेलों में शिफ्ट किया है। इसके तहत वहां से तीन शिफ्ट में 85 बंदियों को आगरा सेंट्रल जेल लाया गया है। इन बंदियों को हाई सिक्टोरिटी सेल और विशेष बैक में रखा गया है। इससे कि वह सामान्य बंदियों ने नहीं मिल सकें। शुक्रवार को इनमें से छह बंदियों की मुलाकात आई थी। मुलाकातियों को कई बैरियर पर चेकिंग के बाद मिलने दिया गया।

मोबाइल से खुलेगा मैकेनिकल इंजीनियर युवती की मौत का राज

जागरण संवाददाता, आगरा : बरहन में रेलवे लाइन किनारे मृत मिली मैकेनिकल इंजीनियर युवती की मौत का राज मोबाइल से खुलने की उम्मीद है। मृतका के मोबाइल से उसके पिता को फोन करने वाले की आखिरी लोकेशन टूंडला की ओर मिली है। उधर, शुक्रवार को विधायक राम प्रताप चौहान ने मृतका के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने पुलिस से घटना की तह तक पहुंचने को कहा।

कालिंदी बिहार निवासी 22 वर्षीय दिव्यांगी शर्मा का शव बरहन के बिरुनी गांव में रेलवे लाइन किनारे मिला था। मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा करने वाली दिव्यांगी शर्मा उत्तरखंड के पंत नगर जिले में एक ऑटो कंपनी में टेक्नीशियन थीं। वह बुधवार की रात

- टूंडला में आई मोबाइल की अंतिम लोकेशन, परिजनों से मिले विधायक
- टूंडला से इटावा और बांदीकुई के लिए अलग हो गई थी बरेली पैसंजर

को बरेली पैसंजर से घर लौट रही थीं। गुरुवार सुबह किसी युवक ने दिव्यांगी के मोबाइल से उनके पिता को फोन करके उसकी मौत की सूचना दी। मृतका के दोनों मोबाइल, पर्स और बैग नहीं मिलने पर परिजन लूटपाट के बाद उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार जिस मोबाइल से परिजनों को फोन किया गया था। उसकी आखिरी लोकेशन टूंडला की ओर आई है। इसके बाद मोबाइल स्वच ऑफ हो

गया। मामले की जांच अब जीआरपी कर रही है। वह मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे दिव्यांगी की मौत का राजफाश करने में मदद मिलेगी। वह ट्रेन के जिस डिब्बे में सफर कर रही थी, उसमें कितने लोग थे। इसका पता लगाने की कोशिश भी कर रही है।

पैसंजर ट्रेन टूंडला से दो हिस्सों में बंट जाती है। एक इटावा और दूसरा बांदीकुई और आगरा आता है। इस दौरान डिब्बे में गिने-चुने यात्री ही रह जाते हैं। परिजन शुक्रवार को मामले में तहरीर देने बरहन थाने पहुंचे थे। मगर, मामला जीआरपी का होने पर उन्हें वहां भेज दिया गया। शुक्रवार को विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने मृतका के परिजनों से घर पहुंचकर मुलाकात करके सांत्वना दी।

से नहीं करते मैच

में ही दफन होकर रह जाते हैं स्केच

क्या कहते हैं स्केच विशेषज्ञ

विशेषज्ञ मनोज शाहगंज की बालिका को अगवा करके दुष्कर्म के आरोपित, रिंग रोड पर सेवानिवृत्त शिक्षिका से लूट समेत दर्जनों घटनाओं के आरोपितों का स्केच बनाकर उन्हें पकड़वाने में पुलिस की मदद कर चुके हैं। मनोज कहते हैं कि स्केच की प्रासंगिकता हमेशा है। मगर, यह बताने वाले पर निर्भर होता है कि उसने आरोपित का चेहरा कितने गौर से देखा है। स्केच बनाने में जो दिक्कत आती है वह निम्न हैं-

- सड़क पर वारदात करने वाले का चेहरा पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी ने कुछ सेकेंड के लिए ही देखा होता है। इसलिए उसका सही हुलिया वह नहीं बता पाता।
- बदमाश ने यदि चेहरे पर रुमाल बांध रखा है तो स्केच का मिलान कराने में दिक्कत आती है।
- उच्च शिक्षित पीड़ित आरोपित के चेहरे के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाता है। ग्रामीण इलाके के आरोपित के हुलिए के बारे में इतना अधिक जानकारी नहीं दे पाते। जैसे उसकी नाक, आंख-कान आदि कैसी थीं।
- बदमाश यदि घटनास्थल पर कई मिनट रुका है, किसी ने उसका चेहरा लगातार वाच किया है तो वह सही स्केच बनाने में मदद करता है।

यह कहना है सेवानिवृत्त आइपीएस का

- सेवानिवृत्त आइपीएस विजेंद्र शर्मा का स्केच को लेकर अलग नजरिया है। उनके अनुसार जो पीड़ित बताता है उसी के आधार पर स्केच तैयार किया जाता है।
- घटना के समय पीड़ित इतना डरा होता है कि बदमाश का चेहरा नहीं देखता। इसलिए वह आरोपित के चेहरे का हुलिया नहीं बता पाता। वहीं, आबादी अधिक होने के चलते एक ही चेहरे और हुलिए के कई लोग होने से स्केच पूरी तरह मैच नहीं होता। इसके बावजूद स्केच कई बार घटनाओं के पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्केच के साथ ही घटनास्थल पर मिले फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट आदि भी अहम सुराग साबित होते हैं।

को दिखाकर उपलब्ध डाटा की जगह अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके काफी हद तक आरोपित के चेहरे से मिलान कर देता है।

संजली की बहन के बयान दर्ज, गवाहों को मिली सुरक्षा

जागरण संवाददाता, आगरा : मलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित संजली हत्याकांड में बहन के बयान भी दर्ज हो गए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। कोर्ट में अभी तक पांच लोगों की गवाही दर्ज हो चुकी है। जान को खतरा देखते हुए अदालत के आदेश पर गवाहों को सुरक्षा भी दी गई है।

मलपुर थाना क्षेत्र के लालऊ निवासी हरेन्द्र सिंह की बेटी संजली स्कूल की छुट्टी होने के बाद साइकिल से घर आ रही थी। रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। पूरे तरह झुलसी छात्रा की इलाज के दौरान दिल्ली के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना कर विजय निवासी कलवारी, आकाश निवासी लखनपुर को हत्या और अन्य आरोपों में जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर 108 गवाह बनाए थे। मामले में इससे पहले संजली के माता-पिता, ताऊ

थाना मलपुरा का मामला, 18 दिसंबर 2018 को हुआ था संजली हत्याकांड संजली की बहन के बयान हुए दर्ज अगली सुनवाई 16 को

सहित पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब उसकी बहन के बयान दर्ज हुए हैं। गवाही के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की जिरह जारी रही। इस कारण अपर जिला जज-6 आरपी सिंह ने अग्रिम सुनवाई की तारीख 16 सितंबर नियत की है।

माता पिता को मिली सुरक्षा

संजली के माता-पिता ने सुरक्षा मुहैया कराने को कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने पत्र स्वीकृत कर पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने मृतका के माता-पिता और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की है। घटना में प्रयोग होने वाली बाइक रिलीज कराने का प्रार्थना पत्र अभी कोर्ट में ही लंबित है। अपर जिला जज-6 ने कोई आदेश नहीं दिए हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स मंडल कार्यालय, संजयपल्स, आगरा

(भारत सरकार का उपक्रम)

शुद्धिपत्र

दिनांक 13.09.2019 को दैनिक जागरण (हिन्दी) एवं फाइनेंसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना में क्रमांक नम्बर- 8, मे 0 एस.एल. डब्ल्यू बूथ प्रोडक्टम् में धनगणि रु. 18.90 लाख के स्थान पर 76.60 लाख तथा 76.60 लाख के स्थान पर 18.90 लाख पढ़ा जाये।

नीलामी सूचना में शेष यथावत् रहेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी